

न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी-देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0



(1) राजस्व अपील सं0 01/2026

1. राजेश पुत्र सत्यनारायण
2. राकेश पुत्र सत्यनारायण
3. प्रकाश पुत्र स्व. नाथूलाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खैरवाल तहसील व जिला दौसा राज ।

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार दौसा जिला दौसा राज0

...रेस्पो0

(2) राजस्व अपील सं0 03/2026

कन्हैयालाल उर्फ काना पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खैरवाल तहसील व जिला दौसा राज

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार दौसा जिला दौसा राज0

...रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील दौसा उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामजीलाल व उनवानी सरकार बनाम राजेश वगै0 अन्तर्गत धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मुकदमा नम्बर 16/2025 व 17/2025 निर्णय दिनांक 04.11.2025

उपस्थित:-1. श्री संजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।

2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 25.3.2026

1. उक्त दोनों अपीलों के तथ्य एवं विषयवस्तु लगभग एक समान है। अतः इन दोनों अपीलों का निस्तारण एकलनिर्णय के द्वारा किया जा रहा है।
2. उक्त दोनों अपीलों में अपीलांट्स के द्वारा नायब तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 4.11.2025 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामजीलाल व सरकार बनाम राजेश वगै0 के विरुद्ध प्रकरण सं0 16/2025 व 17/2025 में पारित किये गये हैं, से व्यथित होकर उक्त निर्णयों को निरस्त करने हेतु यह अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।
4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का ग्राम खैरवाल द्वारा, अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा के समक्ष मिन अपीलान्ट के विरुद्ध एक कतई गलत, झूठी निराधार रिपोर्ट 91 दिनांक 28.10.2025 इस आशय की प्रस्तुत की गई कि, मिन राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 491 रकबा 0.21 है. किस्म बरानी - 1 के रकबा 3 (तीन) ऐयर पर सम्बत् 2082 में जोत लगा कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त झूठी व बेबुनियाद रिपोर्ट पेश करने के पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय अपीलांट को नोटिस जारी किये जो मिन अपीलान्ट पर तामील नहीं हुए, लेकिन बाद सूचना मिन अपीलान्ट ने नियत तिथि 04.11.2025 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति की कि उक्त कार्यवाही गलत तौर पर की जा रही है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय में रीडर ने प्रार्थना पत्र को लेकर रख लिया तथा उपस्थिति दर्ज करने की कहकर खाली आदेशिका के फार्म पर हस्ताक्षर करवा कर भेज दिया तथा कहा कि बाद में आपको सूनवाई के लिए सूचित

जिला कलेक्टर, दौसा



कर दिया जावेगा। इस पर अपीलान्त इस विश्वास में कि बाद में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु सूचित किया जावेगा, वापिस अपने घर आ गया, पीछे से दिनांक 04.11.2025 को ही अधिनस्थ न्यायालय ने बिना मिन अपीलान्त को सुनवाई व पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये ही, मिन अपीलान्त को अतिक्रमी होना मानकर बेदखल करने के आदेश जारी कर दिये, तथा लगान दर 0.27 की 50 गुना शास्ती 14 /- रूपये अधिरोपित कर दी। उक्त निर्णय पारित करने की मिन अपीलान्त को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उक्त आदेश पारित करने के बाद जब मौके पर जेसीबी मशीन चलाकर अपीलान्त की बोई हुई फसल को नष्ट किया जब वहाँ मौजूद पड़ोसी खेत के काश्तकारान द्वारा अपीलान्त से ऐलानिया कहा कि अभी तो हमने धारा 91 की कार्यवाही करवा कर यहाँ तुम्हारी फसल पर जेसीबी चलवाई है, अब जल्दी ही इस जगह पर रास्ता कायम करवा कर रहेंगे, जिसकी बाबत हमने ग्राम पंचायत खैरवाल द्वारा प्रस्ताव पारित करवा कर उक्त जगह को गैर. मु. रास्ते में सैट अपार्ट करवाने की फाईल श्रीमान् कलेक्टर दौसा के यहाँ चला रखी है। इस पर तुरन्त ही अपीलान्त ने दिनांक 19.12.2025 को तहसील दौसा में आकर मालूमात किया तो जानकारी हुई कि धारा भू-राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्त्स के विरुद्ध की गई कार्यवाही में अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 04.11.2025 को बेदखली का निर्णय पारित कर दिया है, इस पर उसी समय अपीलान्त ने उक्त कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली मय निर्णय के नकल चाहने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलान्त को दिनांक 24.12.2025 को नकल प्राप्त हुई तब मिन अपीलान्त को प्रश्नगत प्रकरण में पारित अपीलान्त निर्णय की सर्वप्रथम सम्पूर्ण जानकारी हुई। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2025 से क्षुब्ध होकर उक्त अपील जानकारी के आधार से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। नर्णय जेरे अपील दिनांक 04.11.2025 कानून के विरुद्ध व रुहेदाद मिशाल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने उसके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट दिनांकित 28.10.2025 में मिन अपीलान्त द्वारा ग्राम खैरवाल तहसील व जिला दौसा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 491 रकबा 0.21 है. किस्म बारानी- 1 के रकबा 0.03 है. पर जोत लगाकर अतिक्रमण करना बताया है, जो सरासर गलत व बेबुनियाद है, पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ कथित अतिक्रमण को दर्शाने बाबत मौके का कोई राजस्व नक्शा सीट के मुताबिक नजरी नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही इस सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेरे अपील पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की विश्वस्त जाँच की है, और ना ही मिन अपीलान्त्स को सुनवाई व पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया है। बल्कि महज उक्त भूमि खसरा नं. 491 के पड़ोसी काश्तकार को निजि लाभ पहुँचाने के मकसद से प्रभावित होकर, प्रीज्यूडिस कार्यवाही करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने सरासर गलत व गैरविधिसम्मत निर्णय जेरे अपील दिनांक 04.11.2025 पारित किया है, जो कि कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर अपीलान्त्स की काश्त की हुई जगह के जिस भू-भाग को राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं. 491 रकबा 0.21 है. बारानी - 1 का भू-भाग होना बताया उस भू-भाग की जगह पर अपीलान्त्स अपने पूर्वजों के समय से काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं, अपीलान्त्स द्वारा पटवारी हल्का के अनुसार कथित कोई नवीन अतिक्रमण नहीं किया। वास्तविकता में राजकीय सिवायचक रकबा 0.21 है. किस्म बारानी- 1 जिसका भूमि खसरा नं. 491 साबिका खसरा नं. 580/607 रकबा 12 बिस्वा (अर्थात् 15 ऐयर) था, का सैटलमेन्ट की कार्यवाही में कतई गलत, नाजायज व मनमाने तरीके रकबा 0.21 है. से रकबा बढ़ा कर नवीन वर्तमान खसरा नं. 491 (अर्थात् 16.8 बिस्वा) कायम कर दिया है, जो कि उक्त गफलत उक्त खसरा नं. 516, 517, 1.63 है. (अर्थात् 130.4 बीघा (अर्थात् 140 बिस्वा) भूमि के लगते हुए स्थित खातेदारी की भूमि 518 व 519 कुल किता 4 कुल रकबा बिस्वा) के साबिका खसरा नं. 581 रकबा 07 में से सैटलमेन्ट की कार्यवाही में रकबा घटा कर की गई है। और इसी गफलत के चलते राजकीय सिवायचक भूमि साबिका खसरा 580/607 के बढ़ाये हुए रकबे के आधार पर कायम नवीन राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं. 491 की बाबत वर्तमान नक्शा सीट में भी रकबा बढ़ाते हुए गफलतपूर्ण तरमीम कर दी गई है, और इसी गफलत के चलते अपीलान्त के विरुद्ध निजि व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के बेजा

(Handwritten signature)

जिला कलेक्टर दौसा



मकसद से उक्त राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं. 491 को गैर. मु. रास्ते में सैट अपार्ट करवाने के लिए की जा रही कार्यवाही के चलते उक्त धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही पूर्णतया प्रीज्यूडिस होकर अमल में लायी गई है, जबकि अपीलान्ट द्वारा वर्णित राजकीय 491 के किसी भी भू-भाग पर कोई सिवायचक भूमि खसरा नं. अतिक्रमण नहीं किया है, ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी विश्वस्त जाँच किये व अपीलान्ट को सुनवाई व पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही महज उपस्थिति दर्ज करके निर्णय जेरे अपील दिनांक 04.11.2025 पारित किया है, जो कि आदेशिका दिनांक 04. 11.2025 से भी स्पष्ट है। जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है, कि पूर्ण सुनवाई व पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त ही निर्णय पारित करना चाहिए लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने नियम व कानून तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए कतई गलत व वेग निर्णय जेरे अपील दिनांक 04.11. 2025 पारित किया है, जो कि कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में की गई कार्यवाही इस प्रकार से भी विधि सम्मत नहीं कही जा सकती कि पटवारी हल्का की झूठी व बेबुनियाद रिपोर्ट को सही मानकर एकतरफा कार्यवाही करते हुए बिना पटवारी हल्का के बयान लेखबद्ध किये व अन्य युक्तिसंगत जाँच किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि प्रकरण की पत्रावली में ऐसे कोई तथ्य व साक्ष्य मौजूद नहीं थे जो दर्शाते हों कि मिन अपीलान्ट ने तथाकथित खसरा नम्बर की भूमि पर कोई नया अतिक्रमण किया हो, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व उपरोक्त तथ्य की पुष्टि किये बिना ही निर्णय जेरे अपील पारित कर दिया, जबकि निर्णय पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय को मामले की समुचित प्रकार से जाँच करनी चाहिए थी जो कि अधिनस्थ न्यायालय का विधिक कर्तव्य था। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया और कतई वेग अपीलाधीन निर्णय जेरे अपील दिनांक 04.11.2025 पारित कर दिया जो कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय जेरे अपील दिनांक 04.11. 2025 की जानकारी मिन अपीलान्ट को कतई नहीं थी, लेकिन उक्त आदेश पारित करने के बाद जब मौके पर जेसीबी मशीन चलाकर अपीलान्ट्स की बोई हुई फसल को नष्ट किया जब वहाँ मौजूद पड़ोसी खेत के काश्तकारान द्वारा अपीलान्ट्स से ऐलानिया कहा कि अभी तो हमने धारा 91 की कार्यवाही करवा कर यहाँ तुम्हारी फसल पर जेसीबी चलवाई है, अब जल्दी ही इस जगह पर रास्ता कायम करवा कर रहेंगे, जिसकी बाबत हमने ग्राम पंचायत खैरवाल द्वारा प्रस्ताव-पारित करवा कर उक्त जगह को गैर. मु. रास्ते में सैट अपार्ट करवाने की फाईल श्रीमान् कलेक्टर दौसा के यहाँ चला रखी है। इस पर तुरन्त ही अपीलान्ट ने दिनांक 19.12.2025 को तहसील दौसा में आकर मालूमात किया तो जानकारी हुई कि धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्ट्स के विरुद्ध की गई कार्यवाही में अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 04.11.2025 को बेदखली का निर्णय पारित कर दिया है, इस पर उसी समय अपीलान्ट्स ने उक्त कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली मय निर्णय के नकल चाहने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 24.12.2025 को नकल प्राप्त हुई तब मिन अपीलान्ट को प्रश्नगत प्रकरण में पारित अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम सम्पूर्ण जानकारी हुई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय जेरे अपील दिनांक 04.11.2025 निरस्त फरमाया जावे।

- राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का खैरवाल द्वारा प्रस्तुत करने पर संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की जांच के हस्ताक्षर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये हैं। जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट्स स्वयं अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट्स ने राजकीय सिवायचक चक भूमि खसरा नंबर 491 पर जोत लगाकर अतिचार किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आते हैं। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट्स

खारिज फरमाई जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में कोई विधिवत जांच नहीं करवाई गई ना ही अपीलार्थी को समुचित साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि खसरा नंबर 491 रकबा 0.24 है बारानी प्रथम पर पूर्वजों के समय से लाभांवित होकर चले आ रहे हैं और कोई नवीन अतिक्रमण नहीं किया है। उक्त भूमि के पुराने राजस्व रिकार्ड अनुसार सैटलमेंट द्वारा गलती कर अपीलांट की खातेदारी भूमि का रकबा कम कर सिवायचक में मिला दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 4.11.2025 मुकदमा नंबर 16/2025 एवं 17/2025 को निरस्त किया जावे।
8. जहाँ तक प्रश्न विधिवत जांच का है तो इस संबंध में स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का खैरवाल एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट अतिक्रमण के संबंध में मंगवाई गई थी। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये एवं पक्षकार न्यायालय में भी उपस्थित हुए। जहाँ तक प्रश्न उक्त भूमि पर पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है तो इस संबंध में यह स्पष्ट है कि राजकीय भूमि पर कब्जा किसी भी अतिक्रमी को किसी प्रकार के अधिकार प्रदान नहीं करता है। कोई भी अतिक्रमी लंबे समय से भूमि पर कब्जे को आधार बनाते हुए यह मांग नहीं कर सकता कि उसे बेदखल नहीं किया जावे। जहाँ तक प्रश्न अपीलांट का यह है कि सैटलमेंट द्वारा उनकी खातेदारी भूमि को कम कर सिवायचक में मिला दिया गया है, तो इस संबंध में उक्त बिन्दु पर निर्णय न तो अधीनस्थ न्यायालय (नायब तहसीलदार दौसा) एवं ना ही इस अपीलेट न्यायालय द्वारा किया जाना है। इस संबंध में अपीलांट सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार वाद दायर कर अनुतोष के लिए मांग करने के लिए स्वतंत्र है। जहाँ तक प्रश्न अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के संबंध में है, तो इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया जो कि इस प्रकार है:—मु.नं. 16/2025 दिनांक 4.11.2025 "पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।" एवं मु0नं0 17/2025 दिनांक 4.11.2025 " पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।" उक्त आदेशिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि गैर सायल की बहस नहीं सुनी गई एवं साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया।
9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 4.11.2025 मु0नं0 16/2025 एवं 17/2025 खारिज किया जाकर पत्रावली इस आदेश के साथ रिमांड की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय पुनः पत्रावलियों को नंबर पर लेकर अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करने तक दोनों पक्ष यथास्थिति बनाये रखेंगे। अपीलांट दिनांक 6.4.2026 को अधीनस्थ नायब तहसीलदार दौसा के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। मूल निर्णय अपील सं0 01/2026 में रखा जावे एवं निर्णय की छाया प्रति अपील सं0 03/2026 में रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 25 मार्च, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

